



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-1

(विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा स्त्री के लिए प्रमाण पत्र)

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती .....  
.एक विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला है। उनके पति श्री/स्वर्गीय .....  
.....की मृत्यु अभिलेखों के अनुसार दिनांक .....  
को हुई है।

दिनांक :..... तहसीलदार के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का नाम .....

- ब) तलाकशुदा स्त्री के लिये न्यायालय से तलाक स्वीकृत होने सम्बन्धित न्यायालय के  
निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि का संलग्न करना अनिवार्य है।
- (स) परित्यक्ता महिला के लिये न्यायिक अलगाव तथा निर्वाह भत्ते के लिए न्यायालय में दी  
गयी अर्जी तथा न्यायालय द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही की न्यायालय से प्राप्त  
प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-2

(प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती ..... के  
पिता/पति एक प्रतिरक्षा अधिकारी है जिनका रैंक ..... तथा नम्बर..... है  
जो कि सक्रिय सेवारत हैं

अथवा सक्रिय सेवारत थे और अपंग हो गये

अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

श्री/कु./श्रीमती ..... इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी  
है।

दिनांक.....

आफीसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेट्री सोल्जर्स बोर्ड  
के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का पूरा नाम .....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-3

अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST)

(अभ्यर्थी के जन्म जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.....

पुत्र/पुत्री श्री ..... निवासी गांव/शहर .....

तहसील ..... जिला ..... प्रदेश .....

का जन्म ..... जाति में हुआ था और यह जाति अनुसूचित जाति/जनजाति

(संशोधन) एक्ट 1956 के अन्तर्गत भारत सरकार/उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा मान्य

अनुसूचित जाति/जनजाति है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार



**बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश**  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



**प्रमाण पत्र का प्रारूप-4**

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तर प्रदेश राज्य की ..... पिछड़ी  
जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित  
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची-1 के  
अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या-22/16/92-का 02/1995  
टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1955 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के  
ग्राम ..... नगर ..... जिला .....  
में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

मोहर

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/सिटी  
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

नोट : अभ्यर्थी ध्यान दें कि उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग लिये जाति प्रमाण पत्र 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् निर्गत हुआ होना आवश्यक है क्योंकि क्रीमीलेयर के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-5

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु.\* .....

श्री \*\* .....

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निवासी ..... के आश्रित \*\*\* .....

..... हैं।

दिनांक : ..... जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी के हस्ताक्षर  
स्थान : ..... पदनाम मोहर के साथ  
अधिकारी का पूरा नाम .....

नोट : इस प्रमाण-पत्र के साथ जिला अधिकारी प्रदत्त प्रमाण-पत्र एवं पेंशन बुक की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उपरोक्त के अभाव में यह प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

\* यहाँ आश्रित का नाम लिखें

\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का नाम लिखा जाये।

\*\*\* यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आश्रित का सम्बन्ध लिखा जाये।

केवल जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य है।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-6

(प्रतिरक्षा कर्मचारी के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....  
पुत्र/पत्नी/पत्नी श्री.....रैंक.....  
.. नम्बर ..... जो प्रतिरक्षा सक्रिय सेवा में है अथवा सेवानिवृत्त हो  
चुका है अथवा युद्ध के समय लापता हो गये है।

दिनांक:.....

आफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोल्जर्स  
बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर  
अधिकारी का पूरा नाम.....



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-7

(पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी.एफ. विभाग का  
प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कृ. / श्रीमती .....  
...के पिता / पति श्री ..... एक  
पुलिस / पी.ए.सी. / होमगार्ड / बी.एस.एफ. / आई.टी.बी.पी. / सी.आर.पी. विभाग में सेवारत कर्मचारी है  
जिनका रैंक ..... नम्बर. .... है / सेवारत है / थे और अपंग हो  
गये। उन्होंने सेवा से अवकाश प्राप्त किया।

दिनांक:.....

पुलिस अधीक्षक / कमाण्डेण्ट के हस्ताक्षर  
पद की मोहर के साथ  
अधिकारी का पूरा नाम



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-8

(केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....

आत्मज/आत्मजा ..... ग्राम .....

तहसील..... नगर.....जिला .....राज्य

के/ की स्थाई निवासी है। अतः ये दूसरे प्रान्त के/की श्रेणी में आते/आती हैं।

दिनांक:.....

पद जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
पदनाम की मोहर.....





बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-9

(यह प्रमाण पत्र उस जिले के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है जिस जिले के अभ्यर्थी के माता/पिता निवासी है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम.....  
..... पिता/माता श्री/कु. (अभ्यर्थी का नाम) .....उत्तर प्रदेश  
के गाँव/शहर ..... तहसील.....जिला.....के मूल  
निवासी है तथा श्री/कु./श्रीमती (अभ्यर्थी का नाम) .....के  
माता/पिता सामान्यतः निवास करते हैं।

दिनांक .....

हस्ताक्षर जिला मजिस्ट्रेट

पूरा नाम .....

पद नाम .....

मोहर

(जिला मजिस्ट्रेट की सील)

जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजन मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे जो शा.आ.सं.-157/जीन-2003-77(।।)/83 दिनांक 18 फरवरी, 2003 के अधीन जारी किये जायेंगे।



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-10

(विकलांग अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्र है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .....

आत्मज/आत्मजा..... ग्राम ..... तहसील.....

..... नगर.....जिला.....राज्य ..... के निवासी हैं

और निम्नांकित विकलांग श्रेणी में आते हैं। परन्तु इस श्रेणी में आते हुए भी वे चर्म रोग, हकलाना, मूक बधिर या किसी अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं जिनके छात्रों में संक्रमण या उनकी कक्षा शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। उनकी विकलांगता ..... अंग से सम्बन्धित है तथा विकलांगता का स्वरूप ..... प्रतिशत है।

विकलांगता की श्रेणी

1. हाथ या पैर से विकलांग
2. आंख से विकलांग

दिनांक:.....

मुख्य चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर  
नाम  
एवं मुहर



बी.एड. (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम प्रवेश  
आयोजक : लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ  
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध,  
सहयुक्त तथा घटक महाविद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2018-20 में प्रवेश हेतु निर्देशिका



प्रमाण पत्र का प्रारूप-11

सामान्य निवास प्रमाण पत्र

तहसीलदार ..... की आख्या दिनांक .....के आधार पर एतद्  
द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती .....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....निवासी मकान नम्बर.....  
ग्राम..... मोहल्ला .....तहसील .....  
जनपद .....उत्तर प्रदेश का/की निवासी हैं व उनका वर्तमान पता  
मकान नम्बर ..... ग्राम ..... मोहल्ला.....  
तहसील ..... जनपद.....उत्तर प्रदेश है।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा  
इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य  
निवासी होने का प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर उपजिलाधिकारी  
पूरा नाम  
पद नाम  
मुहर  
(उपजिलाधिकारी की सील)